

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 56 / 2022 राजस्व अपील

1. मूली पत्नि लौहड्या जाति गुर्जर निवासी पीपलकी उपतहसील सिकन्दरा, तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम मूली प्रकरण संख्या 276 / 2021)

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।

: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :-

दिनांक: 02.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि भूमि खसरा नम्बर 222 रकबा 0.25 है. किस्म सिवायचक ग्राम रामा पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप सिवायचक जैसा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 28.1.2022 पारित कर अपीलान्त को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल कर 50 गुणा शास्ति आरोपित कर एवं खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर फसल नीलामी करने के आदेश पारित कर दिये एवं अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलान्त को 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात (शपथ पत्र कब्जा काशत नहीं होने का) अवलोकन नहीं करते हुए यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्त

मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो कमाने खाने के लिये बाहर चले जाने के कारण उपतहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय का मालूम नहीं कर पाया। अधीनस्थ न्यायालय की धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत निर्णय करते हुये यह देखना चाहिये था कि व्यक्ति समद्रेस पास है या नहीं, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन बातों को ध्यान नहीं रखकर यह निर्णय पारित कर दिया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की

सत्यमेव जयते प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.01.2022 खारिज फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 0.10 है. पर सरसों की फसल एवं 0.15 है. पर पडत व कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 28.01.2022 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न की हुई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांत उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 222 रकबा 0.10 है. पर सरसों की फसल एवं 0.15 है. पर पडत व कब्जा कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अपीलान्त द्वारा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 02.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा

(सुरेश कुमार)

अति. जिला कलक्टर ,दौसा